समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक.....................गो0

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

सेवा में,

सिविल सर्जन, मधेपुरा
सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा
श्रम अधीक्षक, मधेपुरा
नोडल पदाधिकारी, आर0एस0बी0वाई0, मधेपुरा

मधेपुरा, दिनांक............................

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला एवं अनुमण्डलीय अस्पतालों, एफ0आर0यू0, रेफरल अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करने एवं उक्त योजना के सुचारू ढ़ंग से क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना एवं सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संयुक्त पत्रांक-545, दिनांक-28-04-2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेशानुसार अनुरोध है कि विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना एवं सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संयुक्त पत्रांक-545, दिनांक-28-04-2015 की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

ज्ञापांक....1231....../गो0, मधेपुरा, दिनांक..01/05/2015.....
सप्त

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

01/05/15

प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

संबंध प्रभारी पदाधिकारी
शाखा R-S: B.Y / (ca) ca 4
पत्र संख्या–श्रम स्वा0 बी0 यो0–35 / 2015–545

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति।

प्रेषक,
श्री ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
डॉ० एस० सिद्धार्थ,
सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

29 APR 2015

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–28.4.15

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, एफ0आर0यू0, रेफरल अस्पतालों, दो संस्थानों यथा–इंदिरा गाँधी हृदय संस्थान पटना एवं इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना तथा पटना के शहरी अस्पतालों (यथा–गार्डीनर रोड अस्पताल पटना, राजवंशी नगर अस्पताल पटना, गर्दनीबाग अस्पताल पटना, राजेन्द्र नगर अस्पताल पटना, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी एवं विधायक अस्पताल पटना) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करने एवं उक्त योजना के सुचारू ढंग से क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–12 / प0–08–07 / 11 के आलोक में ज्ञापांक–586 (12) दिनांक–25.07.2011 में निदेशित है कि राज्य के –

1. सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, एफ0आर0यू0, रेफरल अस्पतालों, दो संस्थानों यथा–इंदिरा गाँधी हृदय संस्थान पटना एवं इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना तथा पटना के शहरी अस्पतालों (यथा–गार्डीनर रोड अस्पताल पटना, राजवंशी नगर अस्पताल पटना, गर्दनीबाग अस्पताल पटना, राजेन्द्र नगर अस्पताल पटना, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी एवं विधायक अस्पताल पटना) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बी0पी0एल0 परिवारों को चिन्हित कर बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा उन्हें एक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें बी0पी0एल0 परिवारों के मुखिया का नाम, उसकी आयु, लिंग एवं फोटो अंकित रहेगा। इसके साथ ही उसमें एक बायोमेट्रिक चीप (Biometric Chip) लगा होगा, जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों यथा, मुखिया सहित अधिकतम पाँच व्यक्ति की तस्वीर एवं उनके अंगूठे का निशान तथा बीमित राशि अंकित रहेगी, जिसे स्मार्ट कार्ड रीडर एवं कम्प्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। अस्पतालीकरण की दशा में स्मार्ट कार्डधारी परिवार प्रतिवर्ष तीस हजार रुपये की सीमा के अंतर्गत बिना कोई राशि खर्च किये अपना ईलाज इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं। इस योजनान्तर्गत निबंधन / नवीकरण हेतु प्रत्येक लाभार्थी को 30 / – रु0 परिवार शुल्क देना होगा, जिसे बीमा प्रदाता द्वारा स्मार्ट कार्ड निर्गमन के समय लाभार्थियों से लिया जायेगा।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत करीब 1516 / – बिमारियाँ चिन्हित है, जिसकी संख्या सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ायी घटायी भी जा सकती है। प्रत्येक बिमारी के ईलाज के लिए एक पैकेज निर्धारित है। स्मार्ट कार्डधारी परिवार के व्यक्ति को भर्त्ती कर ईलाज की दशा में बीमा प्रदाता कंपनी के द्वारा संबंधित अस्पताल को पैकेज की पूरी राशि का भुगतान किया जायेगा। सरकारी अस्पतालों के सूचीबद्ध हो जाने की दशा में बीमा प्रदाता कंपनी संबंधित अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को पैकेज की पूरी राशि का भुगतान करेगी। इस पैकेज में सभी प्रकार की जाँच, समुचित स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल में भर्त्ती होने के एक दिन पूर्व से अस्पताल से छूटने के पाँच दिन बाद तक की दवा, अस्पताल में भर्त्ती रहने के दौरान मुफ्त भोजन एवं आने–जाने हेतु (प्रत्येक बार रुपये 100 / – एवं पूरे वर्ष में रुपये 1000 / –तक) का व्यय भी सम्मिलित है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत श्रम संसाधन विभाग द्वारा बीमा प्रदाताओं का चयन निविदा के माध्यम से से किया जाता है। चयनित बीमा प्रदाता या उनके मध्यस्थ प्रशासक (Third Party Administrator) द्वारा स्थानीय नीजि एवं जन अस्पतालों को सूचीबद्ध कर उनके साथ एक MoU (मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैडिंग) हस्ताक्षरित होता है। इस प्रकार स्वास्थ्य प्रदाता के साथ हुये समझौते के आलोक में अस्पताल को एक स्मार्ट कार्ड रीडर, ट्रान्जेक्सन साफ्टवेयर, बायोमेट्रीक स्कैनर, फिंगर प्रिंट रीडर एवं अन्य मशीन/उपकरण आदि अधिष्ठापित करना होता है, जिस पर होने वाला व्यय स्वास्थ्य प्रदाता को वाहन करना होगा।
5. अतएव राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, एफ0आर0यू0, रेफरल अस्पतालों, दो संस्थानों यथा–इंदिरा गाँधी हृदय संस्थान पटना एवं इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना तथा पटना के शहरी अस्पतालों (यथा–गार्डीनर रोड अस्पताल पटना, राजवंशी नगर अस्पताल पटना, गर्दनीबाग अस्पताल पटना, राजेन्द्र नगर अस्पताल पटन, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी एवं विधायक अस्पताल पटना) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान करते हुये उक्त योजना के रूपरेखा के तहत सुचारू ढंग से क्रियान्वयन हेतु उपर कंडिका 4 में उल्लेखित आवश्यक उपकरणों आदि की व्यवस्था पर होने वाला व्यय संदर्भित अस्पतालों/केन्द्रों के "रोगी कल्याण समिति कोष" में उपलब्ध राशि से वहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
6. इस योजना के अंतर्गत कंडिका 4 में उल्लेखित आवश्यक उपकरणों यथा एक स्मार्ट कार्ड रीडर, ट्रान्जेक्सन साफ्टवेयर, बायोमेट्रीक स्कैनर, फिंगर प्रिंट रीडर अस्पतालों में अधिष्ठापित करना है। चूंकि बी0पी0एल0 परिवारों से ईलाज पर हुए खर्च की भरपायी उनके स्मार्ट कार्ड से कर संबंधित अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति के कोष में जमा होना है। अतः उक्त मशीन/उपकरणों की क्रय एवं अधिष्ठापन तथा उसके रखरखाव पर आयी खर्च की भरपायी रोगी कल्याण समिति के माध्यम से किया जायेगा।
7. राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों, एफ0आर0यू0, रेफरल अस्पतालों, दो संस्थानों यथा–इंदिरा गाँधी हृदय संस्थान पटना एवं इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना तथा पटना के शहरी अस्पतालों (यथा–गार्डीनर रोड अस्पताल पटना, राजवंशी नगर अस्पताल पटना, गर्दनीबाग अस्पताल पटना, राजेन्द्र नगर अस्पताल पटन, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी एवं विधायक अस्पताल पटना) के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत स्मार्ट कार्डधारी बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्यों के ईलाज पर हुये व्यय के लिए अनुमान्य पैकेज के अनुसार जिस राशि का भुगतान संदर्भित बीमा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा, उसे संदर्भित अस्पतालों/केन्द्रों के "रोगी कल्याण समिति कोष" में जमा कर दिया जायेगा।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के ईलाज से प्राप्त राशि को संबंधित अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के कोष में जमा किया जायेगा। प्राप्त कुल राशि में न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि का उपयोग संबंधित अस्पताल के चिकित्सीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अधिकतम 25 प्रतिशत राशि चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को उक्त योजनान्तर्गत अन्य चिकित्सीय सेवाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक रूप से निर्गत किया जायेगा।
9. इस योजनान्तर्गत अस्पतालों/केन्द्रों में भर्त्ती बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों के ईलाज के संबंध में आवश्यक जाँच एवं दी जाने वाली आवश्यक दवाएँ सामान्य रूप से संबंधित अस्पतालों के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर अन्य जाँच एवं दवाएँ जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो सकेगी उसे वाह्य श्रोतों से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पर होने वाला व्यय संबंधित अस्पतालों/केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति के कोष में उपलब्ध राशि से वहन किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य पैकेज के अधीन ही बीमा प्रदाता द्वारा दिये गये राशि से आंतरिक कटौती कर किया जायेगा।
10. इन उपरोक्त वर्णित सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में सूचिबद्ध करने के लिये अलग से किसी भी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 26/4/15
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।